UPMZ010075522026

न्यायालय सेशन न्यायाधीश, मुजफ्फरनगर

उपस्थितः बीरेन्द्र कुमार सिंह, एच.जे.एस.

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3013 सन 2026

वन्दना जोशी पत्नी अमित कुमार
निवासी मकान नम्बर 1, चंदमाल कालौनी,
एन्क्लेव होली गेंगस स्कूल सीतापुर माजरा
हरिद्वार उत्तराखंड
हाल निवासी ग्राम खेडकी, थाना पुरकाजी,
जनपद मुजफफरनगर

—आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

—अभियोजन पक्ष

अपराध संख्या— 180 सन 2025
धारा —318 (4), 351 (3)352, 336 (3),
338, 340(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना— पुरकाजी
जनपद— मुजफ्फरनगर

18.06.2026

प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त की ओर से थाना पुरकाजी के अपराध संख्या—180 सन 2025 धारा—318 (4), 351 (3) 352, 336 (3), 338, 340 (2) भारतीय न्याय संहिता के मामले में इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि, आवेदिका/अभियुक्ता ने कोई अपराध कारित नहीं किया है बल्कि उसे इस मामले में रंजिश के कारण झूठा फँसाया गया है। यह भी कहा गया है कि उसे मात्र सह अभियुक्त अमित की पत्नी होने के कारण फंसाया गया है। उसका घटना में किसी प्रकार का कोई रोल नहीं है। यह भी कहा गया है कि वह एक 35 वर्षीया महिला तथा दसवी पास महिला है और उसका एक पुत्र है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है।

अंत में कहा गया है कि आवेदिका/अभियुक्ता पूर्व सजायाफ्ता नहीं है। इस प्रकार जमानत स्वीकार करने की मांग की गयी। समर्थन में शपथ पत्र, खारजा आदेश दाखिल किया गया है।

Digitally signed by BIRENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.06.19 17:39:07 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

2. अभियोजन की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता दांडिक द्वारा जमानत का विरोध किया गया तथा कहा गया कि, आवेदिका/अभियुक्ता ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा व अन्य लोगों को अपनी कंपनी मे रूपया डबल करने का झांसा दिया और उनका रूपया हड़प लिया। इस प्रकार अपराध गंभीर प्रकृति का होना बताते हुए जमानत निरस्त करने की मांग की गयी। यह भी कहा गया है कि सह अभियुक्त अमित कुमार की जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 24.11.2025 को, सरफराज की जमानत दिनांक 16.12.2025 को, सतीश शर्मा की जमानत दिनांक 31.01.2026 को तथा शादाब की जमानत दिनांक 18.06.2026 को इस न्यायालय द्वारा निरस्त की जा चुकी हैं।

3. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन किया।

4. प्राथमिकी के अवलोकन से जाहिर होता है कि वादी मुकदमा नावेद खान के द्वारा दिनांक 05.10.2025 को थाना पुरकाजी पर प्राथमिकी इस आशय की दर्ज करायी गयी कि वादी मुकदमा नावेद खान की फरहाद आलम, अमित कुमार गौतम, वन्दना, सरफराज से जान पहचान थी। करीब एक वर्ष पहले अमित व वन्दना उनके घर पर आये और कहा कि उन्होंने सैनेमी कन्सल्टिंग प्राईवेट लि. कंपनी जो ज्वालापुर हरिद्वार में स्थित है जिसके पुरकाजी व जगह जगह ऑफिस खुले हुए हैं जिसमें शेयर बाजार में पैसा डबल करने के नाम पर बडे बडे सेमिनार व मंहगी गाडियां इनाम में मिलेंगी। यह झांसा देकर दिनांक 11.08.2024 को 1,38,000/– व 50,000/– रूपये की ठगी कर ले गये। अब चार माह बाद प्रार्थी ने अपने रूपये वापिस मांगे तो मना कर दिया। वे ज्वालापुर ऑफिस गये तो वहां पर कुछ गनर व बाउंसरों ने गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देकर वहां से भगा दिया।

5. अब तक की विवेचना से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट होता है कि सैनेमी कन्सल्टिंग प्राईवेट कंपनी ज्वालापुर हरिद्वार (उत्तराखंड), जिसके डायरेक्टर अमित कुमार व आवेदिका/अभियुक्ता वन्दना बताये गये हैं, ने लोगों को विश्वास दिलाया था कि कंपनी में एक लाख रूपया लगाकर दो लाख छप्पन हजार रूपये वापिस करेंगे तथा कंपनी ने अन्य लोगों को अपने नीचे जोडने पर 67 प्रतिशत का बोनस देने का वायदा किया। उक्त कंपनी के ऑफिस विभिन्न स्थानों पर खुले होना कहा गया। अब तक की विवेचना से यह भी जाहिर होता है कि अभियुक्तगण के द्वारा सैनेमी कंपनी में पैसा लगवाने के बाद लोगों को संतुष्ट करने के लिये कूटरचित लोन एग्रीमेंट दिया जाना और लोगों से प्राप्त रूपयों को सौन्दर्य प्रसाधन के प्रोडक्ट बनाकर सैनेमी कंपनी के नाम से बेचा जाना कहा जाता है। आवेदिका/अभियुक्ता को कंपनी का डायरेक्टर बताया गया है। वह प्राथमिकी में नामित है।

6. अतः आवेदिका/अभियुक्ता के विरूद्व लगाये गये आरोप की गंभीरता, तत्सबंधी दंड एवं कथित अपराध में आवेदिका/अभियुक्ता की संलिप्तता के तथ्य को ध्यान में रखते हुए न्यायालय के मत में आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से जमानत के संबंध में बताये गये आधार उचित एवं पर्याप्त नहीं पाये जाते हैं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **वन्दना जोशी पत्नी अमित कुमार** की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र **निरस्त** किया जाता है।

(बीरेन्द्र कुमार सिंह)
सेशन न्यायाधीश,
मुजफ्फरनगर

दिनांक : 19.06.2026